1|25

कण्डिका क्रमांक – 37

Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA Remittances to precede 2nd stage clearance.

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/7-1/2004 (CAMPA) Meeting 3068 दिनांक 12.05.2011)

कोरबा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रत्याशा मूल्य की राशि हेतु छुट दी गई है। पत्र संलग्न है।

वनमंडलाधिकारी
कोरबा वन मंडल कोरबा

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

(................................)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
कोरबा वनमण्डल,
जिला– कोरबा (छ.ग.)

उप वनमण्डलाधिकारी
कोरबा उपवन मण्डल कोरबा

116
122

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

रायपुर दिनांक ..... /..... / 2008

क्रमांक / एफ–7–8 / 2001 / 10–2

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव /
प्रमुख सचिव / सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
......................................विभाग
मंत्रालय रायपुर ।

विषयः– Hon'ble Supreme Court's orders dated 28.03.2008 and order dated 09.05.2008 in IA No. 826 in 566 and related IA's regarding the rate of the Net Present Value (NPV) of forest land.

संदर्भः– श्री एम0के0 जिवराजका, सदस्य सचिव, केन्द्रीय सशक्त समिति का पत्र क्रमांक 1–19/सी0ई0सी0/एस0सी0/2006–पार्ट, दिनांक 05.06.2008.

——0——

माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 202/1995 गोदा बर्मन विरूद्ध भारत सरकार के प्रकरण में I. A. No. 826 में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है । इस प्रकरण के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमति कंचन चोपड़ा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया था । इस समिति के द्वारा पूरे भारत वर्ष के वनों को इकोलाजिकल क्लासेस में बांटकर निम्नानुसार Net present Value की दरें प्रस्तावित की है –

Eco-Value Class	Very Dense Forest	Dense Forest	Open Forest
Class I	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class II	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class III	8,87,000	8,03,000	6,26,000
Class IV	6,26,000	5,63,000	4,38,000
Class V	9,39,000	8,45,000	6,57,000
Class VI	9,91,000	8,97,000	6,99,000

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नई दरें लागू करने के निर्देश दिये हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित कार्यों हेतु वन भूमि के उपयोग होने की

[illegible] है ।

Category	प्रत्याशा मूल्य से छूट बाबत शर्तों का विवरण
1) स्कूल 2) अस्पताल, 3) गैर व्यावसायिक खेल कूद के मैदान 4) ग्रामीण सामुदायिक केन्द्र 5) पानी की टंकी 6) निस्तारी तालाब 7) पीने के पानी हेतु 4 इंच भूमिगत पाईप लाईन बिछाना 8) ग्रामीण क्षेत्रों में 22 के०व्ही० विद्युत लाईन बिछाना	एक हेक्टेयर तक वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट होगी बशर्ते :– A. कोई वृक्ष न कट रहा हो । B. वैकल्पिक वन भूमि उपलब्ध न हो । C. परियोजना का स्वरूप गैर वाणिज्यिक हो तथा शासन की योजना/आयोजनेत्तर योजना का भाग हो । D. आवेदित वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य का भाग न हो ।
(II) अभ्यारणों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में बसे गांवों के पुर्नस्थापना हेतु वैकल्पिक वन भूमि ।	प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट ।
(III) वन क्षेत्रों में स्थित नदी/नालों से बोल्डर/रेत एकत्रित करना ।	इन प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट का प्रावधान है बशर्ते कि :– A. आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर स्थित हो । B. इस क्षेत्र में पूर्व से कोई खनन पट्टा स्वीकृत न हो । C. कार्यों जिसमें बोल्डर/रेत का विक्रय भी शामिल है का कियान्वयन शासकीय विभाग या [illegible] उपक्रम या ईको विकास समितियों या संयुक्त वनप्रबंध समितियों द्वारा किया जाए । D. कार्य वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आवश्यक हो । E. बोल्डर/रेत के विक्रय से प्राप्त धनराशि का उपयोग वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए किया जाना हो ।
I. भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाना ।	इन प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट का प्रावधान है बशर्ते कि :– A. कोई वृक्ष नहीं कट रहा हो. B. आवेदित वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य का भाग न हो ।

[illegible]

[illegible] निस्तारित क्षेत्र के लिए एवं वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने के प्रकरण ।	[illegible] भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा-निर्देश दिनांक 18.09.1990 के तहत है।
(vi) भूमिगत उत्खनन के प्रकरण ।	भूमिगत उत्खनन हेतु आवेदित क्षेत्र के ऊपर स्थित वनों हेतु निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) का 50 प्रतिशत

उपरोक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया तदानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

सही/-
(कौशलेन्द्र सिंह)
सचिव,
छ0ग0 शासन, वन विभाग

पृ0क्रमांक / एफ–7–8 / 2001 / 10-2
रायपुर दिनांक 01 / 08 / 2008

प्रतिलिपि

1. श्री सी.डी.सिंह, अतिरिक्त महानिरीक्षक (F.C.A.) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी.जी.ओ.काम्प्लेक्स लोधी रोड़ नई दिल्ली ।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षे.) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड नं.–3 ई–5, रविशंकर नगर भोपाल (म.प्र.) ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, छत्तीसगढ़ ।
5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर ।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर ।
7. समस्त वन संरक्षक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

सचिव,
छ0ग0 शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर (शाखा : भू –प्रबंध)
दूरभाष 0771 – 2552232, ई मेल cefm_cg@yahoo.com

पृ0क्र0 / भू–प्रबंध / विविध / 1858
रायपुर, दिनांक 18 / 08 / 2008

प्रतिलिपि:–

1. समस्त वन संरक्षक छ.ग.
2. समस्त वन मण्डलाधिकारी छ.ग.
3. समस्त लघु प्रभारी भू प्रबंध शाखा

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
नोडल अधिकारी (एफ.सी. एक्ट. 1980)
छत्तीसगढ़ रायपुर